

संख्या पी 151/81-2-2021-800(142)/2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी,

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ० प्र०, लखनऊ

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 24 अगस्त 2021

विषय- जनपद अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग (न्यू एन०एच०-०९) (पुराना एन०एच०-२४) किमी 136.480 से 141.780 तक टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लि० मुरादाबाद द्वारा दौंयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.3182 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० एफपी/यूपी/पाईपलाईन/122734/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-84/11-सी/एफपी/यूपी/पाईपलाईन/122734/2021 दिनांक 29.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के चैप्टर 4 के बिन्दु 4.2 में विहित प्राविधान तथा पत्र संख्या-एफसी-11/165/2019/एफसी दिनांक 27.07.2020 में विहित व्यवस्थानुसार जनपद अमरोहा में राष्ट्रीय राजमार्ग (न्यू एन०एच०-०९) (पुराना एन०एच०-२४) किमी 136.480 से 141.780 तक टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लि० मुरादाबाद द्वारा दौंयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.3182 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान करते हैं -

- (1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
- (2) सी० एन० जी०/पी० एन० जी० पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
- (3) सी० एन० जी०/पी० एन० जी० पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।
- (4) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
- (5) प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- (6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
- (7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
- (8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
- (9) प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी०, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन



विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

- (10) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- (11) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
- (12) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (13) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (14) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
- (15) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो माओ उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
- (16) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (17) परियोजना में 06 इंच व 125 एमएम गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एनओपीओ का भुगतान किया जायेगा।
- (18) राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है:-
- (1) सीओएनओजीओ/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतर्शहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।
- (2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत सामान्यतया दुर्गन्धे अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।
- (19) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/माओ न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

3- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से



अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

Signed by आशीष तिवारी

(आशीष तिवारी) Date: 19-08-2021 17:54:04

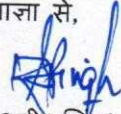
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1)-उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- (2)-वन संरक्षक मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।
- (3)-जिलाधिकारी अमरोहा।
- (4)- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा।
- (5)- प्रबन्धक, टॉरेन्ट गैस मुरादाबाद लि० मुरादाबाद।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(आर० पी० सिंह)

अनुसचिव।

W